0

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

का विभाग

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय

मान. मुख्यमंत्रीजी के द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2020 को कलेक्टर्स/कमिश्नर्स की वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रदेशव्यापी 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो इसलिए नीचे लिखी घोषणायें/निर्देश दिए गए हैं:–

1. प्रदेश में सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि का भुगतान दो माह के अग्रिम रूप में किया जाए।

2. संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत दर्ज मजदूरों को रू. 1000/–की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए।

3. सहारिया, बैगा एवं भारिया जनजाति के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि रू. 2000/– भेजी जाए।

4. कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शासकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क इलाज किया जाय। यह इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा। निजी चिकित्सालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जाए।

5. ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि का उपयोग लोगों के भोजन/आश्रय की व्यवस्था के लिए किया जाए।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक माह का राशन निःशुल्क दिया जाएगा।

7. प्राथमिक शालाओं 60.81 लाख एवं माध्यमिक शालाओं के 26.68 लाख विद्यार्थियों के खाते में मध्याह्न भोजन की राशि का वितरण किया जाए।

उपरोक्त घोषणाओं/निर्देशों पर आवश्यक निर्देश जारी करते हुए **तत्काल** कार्यवाही सुनिश्चित करें।

177/CS/2020
26/03/2020

(इकबाल सिंह बैंस)
मुख्य सचिव
26.03.2020

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
पंचा.एवं ग्रा.वि.वि./सामा.न्याय/श्रम
लोक स्वा.एवं प.क.वि./आ.जा.क.वि./
स्कूल शिक्षा

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल 2019.

Scanned with CamScanner